न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2023
(GCMS 2023/136)(212727718737272)

विजय कृष्ण कौशिक निवासी 12 पूजा कॉलोनी, मेन रोड़ (दीप सिंह कॉलोनी), वार्ड नं. 43, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कृष्ण कौशिक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 09.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2023 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

15 फरवरी 2023 से 08 जून 2023 तक तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रजिस्टर रिसिप्ट रजिस्टर (आवक रजिस्टर) और डिस्पेच रजिस्टर (जावक रजिस्टर) की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

तहसीलदार (भू.अ.), **सूरतगढ़ ने अपील का जवाब अपीलार्थी को भिजवाते हुए अपने पत्रांक भू.अ./2023/2939–40** दिनांक 19.09.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना आवक पंजिका कानूनगों ऑफिस दिनांक 15.02.2023 से 08.06.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्र के साथ निःशुल्क संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आवक पंजिका तहसील कार्यालय के जनरल (विविध) शाखा में संधरित की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार(भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि** यदि अपीलार्थी विजय कृष्ण कौशिक द्वारा उक्त वांछित सूचना हेतु पुनः आवेदन किया जाये तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर